सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 06.04.2026

#CRACKDOWN

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी कार्यवाही: थाना लवेदी क्षेत्र में हुई झपटमारी की घटना का सफल अनावरण।**
- **इटावा पुलिस द्वारा कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की अपाचे बाइक, 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जिन्दा कारतूस व 04 खोखा कारतूस, घटना में लूटी गई चेन का 15 ग्राम सोना पिघला हुआ और 05 मोबाइल फोन व नकदी बरामद ।**
- **पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर अभियुक्त घायल, रेकी करने वाला व माल खरीदने वाला सुनार भी गिरफ्तार**
- **अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस व थाना बकेवर पुलिस व थाना लवेदी पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही।**

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.03.2026 को वादी विनोद कुमार तिवारी पुत्र स्व. फिरंगीलाल तिवारी निवासी दाउदपुर, थाना लवेदी, जनपद इटावा द्वारा थाना लवेदी पर लिखित तहरीर दी गई कि वादी अपनी पत्नी के साथ कस्बा लखना से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वे लालपुर पुलिया के पास पहुँचे, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने झपट्टा मारकर वादी की पत्नी के गले से सोने की चैन छीन ली और बम्बा रोड की तरफ भाग गए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना लवेदी पर **मु0अ0सं0 11/2026 धारा 304(2) BNS पंजीकृत** किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए इसके सफल अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलांस एवं थाना बकेवर व लवेदी पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 05/06.04.2026 की रात्रि को एसओजी/सर्विलांस व थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा महासिंहपुर पुल पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा थाना लवेदी पुलिस टीम को सूचना देकर अभियुक्तों की पीछा किया गया। स्वयं को पुलिस टीमों से घिरता देख अभियुक्तों द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई जिस पर टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में **अभियुक्त राघवेंद्र शुक्ला के दाहिने पैर में तथा विश्वास उर्फ विशु के बायें पैर में गोली लगी। घेराबंदी कर इनके साथी सूरज राजावत (रेकी करने वाला) व शंकर सोनी (चोरी का माल खरीदने वाला सुनार) को झालपुल के पास से गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने ही दिनांक 28.03.2026 को थाना लवेदी क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति से सोने की चैन छीनी थी। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की अपाचे बाइक, 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जिन्दा कारतूस व 04 खोखा कारतूस, घटना में लूटी गई चेन का 15 ग्राम सोना पिघला हुआ और 05 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी और पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 90/2026 धारा 109(1)/61(2)/317(2) BNS व 7/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. विश्वास उर्फ विशु पुत्र जितेंद्र शुक्ला निवासी- कानपुर नगर/कस्बा लखना, इटावा **(मुख्य अभियुक्त)।**
2. राघवेंद्र शुक्ला पुत्र लाल जी शुक्ला निवासी- कानपुर नगर/कस्बा लखना, इटावा **(मुख्य अभियुक्त)।**
3. सूरज राजावत पुत्र राकेश राजावत निवासी- कस्बा लखना, इटावा **(रेकी करने वाला)।**
4. शंकर सोनी पुत्र जगदीश सोनी निवासी- कस्बा लखना, इटावा **(माल खरीदने वाला सुनार)।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 90/2026 धारा 109(1)/61(2)/317(2) BNS व 7/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना बकेवर।
2. मु0अ0सं0 11/2026 धारा 304(2) BNS थाना लवेदी, इटावा।

नोट- अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही।

बरामदगीः-

1. 01 मोटरसाइकिल अपाचे (बिना नंबर, घटना में प्रयुक्त)।
2. घटना में लूटी गई 15 ग्राम सोना पिघला हुआ।
3. 05 मोबाइल फोन।
4. 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 06 जिन्दा कारतूस व 04 खोखा कारतूस।।
5. नकदी।

पुलिस टीम- प्रथम टीम- प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम।
द्वितीय टीम- थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन मलिक मय टीम, थानाध्यक्ष लवेदी मय टीम।